निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 37 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी के माह 03/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि प्रकाश पाठक व श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.07.2017 से 02.08.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी.एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05.12.2013 से 10.12.2013 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2010 से 11/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

   (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, अल्मोड़ा

   (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15			-	-	3.87	3.45		0.41
2015-16	-	-			4.46	4.04	-	0.41
2016-17	-	-			5.11	4.17	-	0.93
2017(06/2017 तक)	-	-	-	-	6.25	3.07	3.1	

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः शून्य

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणःशून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढवाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(ii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2015 एवं 08/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II ‘अ’

शून्य

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 01- विभागीय उदासीनता के फलस्वरूप निर्माण कार्य को पूर्ण ना कराये जाने के कारण ₹9.71 लाख का अवरोधन एवं ₹ 4.70 लाख का निष्फल व्यय।

जनपद नैनीताल के अंतर्गत तहसील हल्द्वानी कार्यालय के अंतर्गत आवासीय एवं अनावासीय भवनो के निर्माण के प्रथम चरण की स्वीकृति अक्टूबर -2011 में ₹ 14.41 लाख की प्राप्त हुयी थी जिस हेतु प्रथम एवं द्वितीय चरण के कार्यों हेतु अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड हल्द्वानी को कार्यदायी संस्था नियुक्त करते हुये संस्था को अक्टूबर -2011 मे ₹ 14.41 लाख अवमुक्त किए गए थे।

कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी मे उपरोक्त निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा अक्टूबर 2011 मे राशि प्राप्त होने के उपरांत भी दो वर्षों तक धनराशि अवरोधित रखते हुये अक्टूबर -2013 मे स्ट्रक्चर डिज़ाइन एवं म्रदा परीक्षण पर ₹ 4.70 लाख काभुगतान टेक्निकल कनसलटेनसी सर्विस, देहरादून को किया था। आगे अभिलेखो की जांच मे पाया गया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त कुल आवंटन ₹ 14.41 लाख मे से ₹ 9.71 लाख को अवरुद्ध रखते हुये एक साल बाद नवम्बर 2014 मे जिलाधिकारी नैनीताल को ₹ 1665.40 लाख के द्वितीय चरण के कार्यो को आगणन स्ट्रक्चर डिज़ाइन एवं मृदा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के एक वर्ष के उपरांत प्रेषित किया एवं जिलाधिकारी स्तर से भी प्राप्त आगणन को संज्ञान मे न लेते हुये लगभग ढाई वर्षो तक कार्यवाही लंबित रखते हुए फरवरी 2017 मे उपरोक्त आगणन को पुनरीक्षित करने हेतु कार्यदायी संस्था को पत्र एवं अनुस्मारक प्रेषित करने के उपरांत भी न तो संप्रेक्षा अवधि जुलाई 2017 तक कार्यदायी संस्था द्वारापुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया न ही विभाग द्वारा शासन के संज्ञान मे लंबित निर्माण कार्य को कराने हेतु धनराशि आवंटन करने का संज्ञान लाया गया जिसके फलस्वरूप न केवल व्यय धनराशि ₹ 4.70 लाख निष्फल रही बल्कि ₹ 9.71 लाख अवरुद्ध रहे एवं निर्माण कार्य केविगत 6 वर्षो से अवरोधित रहने के कारण कार्य उद्देश्यों कि पूर्ति नहीं की जा सकी थी

उपरोक्त के संबंध मे अवगत कराने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि पुनरीक्षित आगणन प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्यवाही कि जाएगी एवं पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु शासन से स्तर से पत्राचार करते हुये भवन निर्माण के कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ की जाएगी।

अतः विभागीय उदासीनता के फलस्वरूप अपूर्ण निर्माण कार्य, धन के अवरोधन एवं निष्फल व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 02 तहसील परिसर मे स्टांप विक्रेताओं को आवंटित स्थानो का शुल्क वसूल न किए जाने से राजस्व क्षति।

उपजिलाधिकारी हल्द्वानी के अरायजनवीस, दस्तावेज़ लेखक एवं स्टांप विक्रेता के अनुज्ञप्ति अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि तहसील हल्द्वानी के प्रांगण मे कार्यरत समस्त स्टांप वेंडर को एक निश्चित समयावधि हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किए गए थे, परंतु उपरोक्त समस्त श्रेणी के विक्रेताओ द्वारा तहसील परिसर मे जगह जगह स्थायी एवं अस्थाई दुकानों का निर्माण करने के उपरांत भी विभाग द्वारा उक्त वेंडरों से कोई अनुबंध गठित नही किया गया था एवं तहसील परिसर की सरकारी भूमि के निजी प्रयोग करने के लिए नगर निगम से दरो पर कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप सरकार को राजस्व क्षति हो रही थी।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण की जांच कर एवं उच्चाधिकारियों से वार्ता के उपरांत बिन्दुवार उत्तर प्रेषित किया जाएगा।

अतः तहसील परिसर मे स्टांप विक्रेताओं को आवंटित स्थानो का शुल्क वसूल न किए जाने से कारण राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- लम्बित वसूली रू 106.65 लाख।

कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी के वसूली से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जून-2017 तक धनराशि 9937656/- की वसूली प्रमाण पत्रों की राशि वसूल नही की गयी थी, जिसमें से धनराशि रु 7271014/- की धनराशि पर वसूल किये जाने वाले संग्रह व्यय रू 727101/- की वसूली भी की गयी थी।

उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि अवशेष राशि की वसूली आगामी माहों में पूर्ण कर ली जायेगी।

अतः रू 106.65 लाख की वसूली लंबित रहने (9937656+727101) का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II ‘अ’/भाग 3 (क) प्रस्तर संख्या	भाग-II ‘ब’ प्रस्तर संख्या
	शून्य	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		शून्य प्रस्तर		

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री पंकज कुमार उपाध्याय	उपजिलाधिकारी	19.12.2014	27.09.2016
2.	श्री ए पी बाजपेयी	उपजिलाधिकारी	25.09.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र